निर्णय बइजलास काना राम आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 34/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन) जीसीएमएस नं0 2025/278

आधार हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड........................ ....प्रार्थी

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र श्री मन्दोरी लाल मीणा निवासी 57 अलीगंज रोड गाडी मोहल्ला, गंगापुरसिटी, रेल्वे स्टेशन के पास शीतला मंदिर के पास तथा गोरखपुर, उत्तरप्रदेश
   अन्य पता– प्लॉट नं0 15 एवं 16 गंगापुरसिटी, सवाई माधोपुर
2. मन्दोरी लाल पुत्र किशोरी लाल मीणा निवासी 43 अलीगंज रोड गाडी मोहल्ला, शीतला मंदिर के पास गंगापुरसिटी
3. प्रमोद कुमार मीणा पुत्र श्री मन्दोरी लाल मीणा निवासी अलीगंज रोड गाडी मोहल्ला, शीतला मंदिर के पास गंगापुरसिटी

.........अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.10.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में विनोद कुमार पुत्र श्री मन्दोरी लाल मीणा निवासी 57 अलीगंज रोड गाडी मोहल्ला, रेल्वे स्टेशन के पास शीतला मंदिर के पास, गंगापुरसिटी की सम्पत्ति प्लाट नं0 15, 16 खसरा नं0 162 पट्टा कमांक LD/GGNC/2021-22/66276 दिनांक 22.04.2022 मिर्जापुर योजना ग्राम मिर्जापुर तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में आम रास्ता 20 फीट, पश्चिम में बाबूलाल मीणा का मकान, उत्तर में साबुद्दीन का मकान व दक्षिण में आम रास्ता 16 फीट है, जिसका क्षेत्रफल 185.87 वर्ग मीटर है, को बंधक रखकर 24,55,649/– (चोईस लाख पचपन हजार छः सौ उनचास रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.11.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने साथ ही दिनांक 15.11.2024 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 तथा 3 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज की प्रति उपलब्ध करवाने बाबत निवेदन किया गया। प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण को दस्तावेज साझा किये जाने तथा अप्रार्थीगण को बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण की बकाया राशि जमा करवाने हेतु समय दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान बैंक ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में दो माह का समय चाहा गया।
3. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि तथा अप्रार्थीगण को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 09.11.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी गया साथ ही दिनांक 15.11.2024 को समाचार पत्र में साया करवाया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है किन्तु न्यायहित मे अप्रार्थीगण को बैंक ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान किये जाने हेतु दिनांक 17.04.2026 तक का समय दिया जाता हैं साथ ही बैंक को भी निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये दस्तावेज उपलब्ध कराये। यदि अप्रार्थीगण द्वारा नियत समयावधि तक बैंक ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया जाता है तो अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति प्लाट नं0 15, 16 खसरा नं0 162 पट्टा कमांक LD/GGNC/2021-22/66276 दिनांक 22.04.2022 मिर्जापुर योजना ग्राम मिर्जापुर तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में आम रास्ता 20 फीट, पश्चिम में बाबूलाल मीणा का मकान, उत्तर में साबुद्दीन का मकान व दक्षिण में आम रास्ता 16 फीट है, जिसका क्षेत्रफल 185.87 वर्ग मीटर है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने हेतु स्वतंत्र है।
5. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक/अप्रार्थी ऋणी को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 18.02.2026 को सुनाया गया।

(काना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner